महाराष्ट्र राज्य नदी सम्मेलनः २००८

१८ तथा १९ अक्टूबर २००८

कार्यक्रम प्रयोजन तथा कार्यक्रम रुपरेखा

Adan river near Sangavi village

SAMVARDHAN

SAMVEDANA ...conscious for sustainable development

The Rufford Small Grants Foundation www.ruffordsmallgrants.org

की. न. महाविद्यालय, कारंजा

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट

महाराष्ट्र राज्य नदी सम्मेलनः २००८

१८ तथा १९ अक्टूबर २००८

कार्यक्रम प्रयोजन तथा कार्यक्रम रुपरेखा

संपर्कः डॉ निलेश क हेडा

१. नदी सम्मेलन: जल कुंभ का आधुनिक रुप

पुराने समय में नदियों को सदा स्वच्छ बनाये रखने के लिये हर १२ साल में एकबार कुंभ मेला का आयोजन होता था। इस कुंभ में नदीयों के संबंध में चर्चाये होती थी तथा, कृति कार्यक्रम निर्धारित होते थे। सांकेतिक रुप से यह प्रथा तो चलती रही परंतु इसका मूल उद्देश्य खो गया। इस हेतु 'महाराष्ट्र नदी सम्मेलन' को हम 'जल कुंभ' के तहत मनाने जा रहे है।

२. आईये विभिन्न घटक जोडे:

नदियों के संरक्षण के लिये अनेक तरह की रणनीतियां अपनाने की नितांत आवश्यकता है। नदी, अन्य स्थिर जल के जलाशय, जल–जैवविविधता तथा इन घटकों पर निर्भर लोग, ऐसी अनेकानेक ईकाईयों से मिल कर प्राकृतिक जल संरचना का जन्म हुआ है। ऐसी संरचना काफी क्लिष्ट होने के कारण प्रबंधन के लिये भी चुनौतीयों से भरी है। अत: नदी संरक्षण की रणनीति बनाने के लिये समाज के विभिन्न घटकों के एकीकरण की नितांत आवश्यकता है। इन सारे घटकों को जोडने के लिये एक छोटी सी पहल के रुप में हम नदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे है।

३. सरकार के साथ हमारा भी उत्तरदायित्व

मनुष्य ने पर्यावरणीय प्रश्नों को जटील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन समस्याओं को सुलझाने की सामाजिक व्यवस्था भी चरमरा रही है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन जबसे सामाजिक नियंत्रण से निकलकर सरकारी केंद्रीय व्यवस्था में गया तबसे सामान्य लोगों का प्रकृति से निकटतम संबंध कमजोर होता गया। इस विषय में वन संसाधन के संबंध में काफी अध्ययन हुये है, किंतु जल संसाधन के संबंध में ऐसे अध्ययनो की कमी है। जल संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण आते ही लोगों में एक विचार गहरा पैठता गया है कि, प्रकृति के प्रश्नों को दूर करने का दायित्व भी सरकार का ही है, हम लोग अकारण ही इसमें क्यों पडे? सरकारी प्रयत्न अधिकांश समय निकटतम परिणाम सुझाने वाले तथा तृष्टीकरण की नीति को बढावा देने वाले ही देखे गये हैं।

अत: नदी से संबंधित प्रश्न केवल सरकार ही दूर करेगी इस भुलावे से निकलकर ये समस्या हम सब की है ऐसे दृष्टीकोण को बढावा देने के लिये नदी सम्मेलन का आयोजन करने का मानस है। जिस तरह प्राकृतिक संसाधनों पर हम सब का समान अधिकार है उसी तरह उस संसाधन को बचाने का भी हम सब का समान दायित्व है इस बात को समझनेके लिये नदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

४. वैज्ञानिक और आम आदमी

पर्यावरण अध्ययनकर्ता, वैज्ञानिक, तज्ञ तथा आम आदमी इन सभी में तालमेल नजर नहीं आता। सभी अलग अलग भाषा में बातें कर रहे हैं। वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला से बाहर निकलकर फिल्ड पर नहीं जाना चाहता, आम आदमी प्रयोगशाला में जाने से हिचकिचा रहा है। इन दोनो घटकों को जोडने की छोटीसी शुरुआत इस सम्मेलन के माध्यम से होगी ऐसा विश्वास है।

५. महाराष्ट्र की प्रतिभाओं से सीखे:

महाराष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धता के लिये सुप्रसिद्ध राज्य है। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा तथा कोंकन की नदियों से सींचा जाने वाला यह प्रदेश प्राकृतिक संसाधन आधारित लोगों का भी नंदनवन माना जाता रहा है। विदर्भ, सह्याद्री तथा सतपुड़ा के घने जंगल, मध्य महाराष्ट्र की समृद्ध कृषि तथा घास के क्षेत्र, ७०० किलो मीटर लंबा पश्चिमी समुद्री तट जैविक विविधता के लिये सुप्रसिद्ध है। मछली पकडणे वाली भोई, ढीमर, केवट, जैसी जनजातियां आज भी अपने परंपरानुसार निसर्गानुकूल व्यवसाय से जुडी हुयी है। महाराष्ट्र की सारी नदीयां वर्षा आधारीत जल पर निर्भर है तथा यहां का काफी बड़ा क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र में आने के वजह से जलसंग्रहण की एक अच्छी पारंपरिक व्यवस्था भी यहां निर्मित हुयी है। विदर्भ का भंडारा जिला तो पारंपरिक तालाबों के लिये विश्व प्रसिद्ध जिला है तथा इस जिले में १०,००० के आसपास तालाब होने की संभावना है। इस तरह महाराष्ट्र राज्य में प्राकृतीक संसाधन खास कर जल के विषय पर काम करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं की एक उज्वल परंपरा रही है। गत पीढ़ी के स्व। श्री। विलासराव सालूंखे हो या नई पीढ़ी में भंडारा के मनीष राजनकर। सभी ने अपने – अपने स्तर पर जल के प्रश्नों का उचीत समाधान देने का प्रयास किया है। ऐसे सभी प्रतिभावान लोगों के अनुभव से कुछ सीखने का सौभाग्य लाभ भी इस सम्मेलन द्वारा होगा।

६. अध्ययन की कमी: सांझा अध्ययन कार्यक्रम

हमारी नदीयों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी की नितांत कमी है इस प्रकार जानकारी के अभाव में ही हम नदींयों के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रबंधन कर रहे है और सरकारी महकमा निर्णय ले रहा है। मेरे पीएचडी के अध्ययन के दौरान मै मध्य भारत की नदियों में मछली पर किये गये अध्ययन को ढूंढ रहा था, ये जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि, गोदावरी नदी की उपनदीयों की मछलियों की एक भी सूची (चेकलिस्ट) उपलब्ध नहीं थी। जो कुछ नाममात्र का अध्ययन किया गया था, वो आजादी से काफी पहले जिलावार गॅजेटीयर बनाने के लिये भारतीय प्रकृति में रस लेने वाले अंग्रेज अधिकारियों ने किया था। इस सम्मेलन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर (राष्ट्रीय जल बिरादरी द्वारा) तथा महाराष्ट्र स्तर पर नदी के अध्ययन की संभावना तलाशने का प्रयास हम करेंगे। महाराष्ट्र की नदीयों के प्रश्नों को जानने के लिये विभिन्न नदी परिक्षेत्र (बेसिन) के लिये समय सीमा निर्धारित (टाईम बाउंड) कार्यक्रम को निश्चित करने की आवश्यकता है। इस अध्ययन में विभिन्न अध्ययन संस्थानों के साथ साथ शिक्षक विद्यार्थी तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सामने आना चाहिये। नदी तथा इस से संबंधित लोगों के ध्यान देने योग्य मुद्दों का (फोकल इस्युज), जल जैवविविधता की वर्तमान उपलब्धि तथा उनमें हो रहे परिवर्तनों का ठिक तरह से दस्तावेजीकरण होना चाहिये तथा इन दस्तावेजों के सुलभ आदान–प्रदान की व्यवस्था भी होनी चाहिये। जलभागों के संबंध में ऐसी जानकारी पारंपरिक जनजातीयां अपने पास सहेजकर है अत: उनके ज्ञान के दस्तावेजीकरण का एक कार्यक्रम हमे कुछ नदीयों के लिये ही सही बनाना चाहिये। इस सम्मेलन के बाद अगर महाराष्ट्र की विभिन्न

नदीयोंके लिये 'नदी सद्य स्थिति दर्षक अहवाल' (स्टॅटस रिपोर्ट) तैयार करने का टाईम बाउंड कार्यक्रम हमारे कुछ मित्र करते है तो यह सम्मेलन सफल हुआ ऐसा हम समझेंगे।

नदी के स्टॅटस रिपोर्ट को तैयार करने का काम अडाण नदी के लिये हम कर रहे है। उस अनुभव से भी सिखा जा सकता है।

७. जल संरक्षित क्षेत्र

पारंपरिक रुप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पवित्र जल कुंड के स्वरुप में जल क्षेत्र को संरक्षित करने की सामाजिक व्यवस्था थी। धार्मिक अधिष्ठान के तहत इसे परंपरा का रुप देने के कारण सदियों तक यह व्यवस्था चलती रही। भारत की प्रमुख रुप से आदिवासी जनजातियां मूलतः निसर्गपूजक होने के कारण बहुत से प्रजातीयों को अभय प्रदान करणे की व्यवस्था भी है, उदाहरण के लिये गोंड आदिवासियों में हलामी वंश के लोग बोद (*Bagarius bagarius*) मछली को कभी नहीं मारते। परंतु वर्तमान काल में इस तरह की व्यवस्थायें चरमरा रही है। इस परिवर्तन के कई कारण है, जैसे बाजारवाद का परिणाम, नई पीढ़ी का प्रकृति से दूर जाना आदि। इस बदलाव से निपटने की दो पद्धतियां (स्ट्रेटेजीज) हो सकती है:

१) जहां तक हो सके पुरानी परंपराओं को पुनरुज्जीवित किया जाये। इन परंपराओं को जीवित रखने वाले समूहों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जाये। तथा पारंपरिक जनजातियों के शाश्वत रोजगार के लिये कार्य किया जाये।

२) अपने – अपने कार्य क्षेत्र में नदी या तालाबों पर लोक सहभाग से 'जल संरक्षित क्षेत्र' का निर्माण किया जाये।

हमारे कार्य क्षेत्र में अडान नदी पर कम से कम दो जगहों पर हम इस तरह के जल संरक्षित क्षेत्र निर्माण के कार्य के लिये प्रयत्नशील है। लोगों के साथ हुई हमारी बातचीत में अनेक समूह इस के लिये आगे भी आना चाहते है ये स्पष्ट हुआ है।

इस तरह के संरक्षित जल क्षेत्र किस तरह तैयार किये जाये? अमुक क्षेत्र को जल क्षेत्र घोषित करने से पहले अध्ययन की कार्यपद्धति (मेथडॉलॉजी) कैसी हो? सामाजिक स्तर से इस कार्य के लिये लोगों का सहयोग कैसे प्राप्त किया जाये? इन बातों की चर्चा भी सम्मेलन में होना चाहिये।

८. नदी नीतिः

नदी तथा मछलियों के बारे में सरकार का नकारात्मक रवैय्या सर्वविदित है। केवल उत्पादन की दृष्टि से मछलीपालन के लिये उपयुक्त ५–६ प्रजातीयों के अलावा हमें मछलियों की ज्यादा जानकारी नहीं है। भारत के मीठे जल में १२०० के आसपास स्थानीय मछलियों की प्रजातीयां अब तक पहचानी गयी है। बड़ी नदीयों के संबंध में (उदा. यमुना, गंगा) कुछ निर्णय जरुर हुये है, किंतु उनकी उपयोगिता भी कितनी प्रभावी थी ये एक चिंतनीय विषय है। नदी के बारे में एक राष्ट्रीय तथा नदी के परिक्षेत्र (बेसिन) के अनुसार क्षेत्रिय (रिजनल) नीति निर्माण करणे की नितांत आवश्यकता है। प्रकृति स्थानानुसार सतत परिवर्तनशील होने के कारण ऐसी नीति राष्ट्रीय तो होगी ही लेकिन हर एक स्थान के लिये अलग – अलग होनी चाहिये। ऐसा कैसे संभव हो? इस बारे में हम सभी को मिलकर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जिन नदीयों ने संपूर्ण भारत वर्ष की समृद्ध सभ्यता का पोषण किया, कृषि, कला, साहित्य तथा विज्ञान के उत्थान में अपना भारी योगदान दिया, उन नदियों को दो कौड़ी के उत्पादकों का निर्माण करने वाले

कारखानों की बलि चढ़ने देना ये किस प्रकार उचित है? जिन नदियों को हम माता कहकर सदियों से पूजते आ रहे हैं, ऐसी नदियों को केवल मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना देना ये किस प्रकार उचित है? इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर देने वाली नीति निर्धारित करने की नितांत आवश्यकता है।

९. मछली नीति:

परदेसी मछलियों की तादाद भारतीय जल में काफी मात्रा में बढ़ गई है। भूतकाल में सरकारी महकमों ने (उदा. मत्स्य पालन विभाग) परिस्थितिक शास्त्र के अपने अज्ञान के कारण परदेस की मछलियों की जो प्रजातीयां भारतीय जल में रोपित की है, वही प्रजातीया यहा की स्थानीय प्रजातीयों को समाप्ती की ओर ले जा रही है। महाराष्ट्र का उदाहरण हम ले तो परदेसी मछलियों की लगभग ८-१० प्रजातीयां यहा पायी जाती है (उदाहरण के लिये तिलापिया. इस मछली को अमेरिका सहित अनेक देशो ने मछलीपालन के लिये प्रतिबंधित कर दिया है किंतु भारतके मीठे जल में इसे आप आसानी से देख सकते है)। ऐसी प्रजातियों के गुणदोष की जानकारी के अभाव में इनके पालन के बारे में कोई भी स्पष्टतम नियम हमारे यहां नहीं है। ऐसी परदेसी मछलीयों के बारे में भी अपनी सुस्पष्ट नीति तैयार करने की आवश्यकता है।

१०. सामाजिक दायित्व

नदी तथा अन्य जलाशयों पर लाखों की संख्या में लोग अपने जीवनयापन के लिये निर्भर है। मछुआरें, रेत निकालने वाले मजदूर, किसान, मत्स्य व्यवसायी इन सभी सामाजिक घटकों की स्थिति नदी तथा जलाशय परिवर्तन के कारण नाजुक हो गई है। मछुआरों की स्थिति गहन सामाजिक तथा पर्यावरणीय भेदभाव का जीवंत उदाहरण है। बड़े उध्योगों को जो हमने महत्व दिया है उस की तुलना में जल स्थानों पर निर्भर जनजातियों की ओर हम आंख मूंद कर बैठे हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात ये है कि, जलभाग ही मछुआरों की खेती हैं, पारंपरिक खेती की तुलना में इस खेती से किसी भी प्रकार का पदूषण नहीं होता, कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती। आज नदी पर असंघटित क्षेत्र के स्वरुप में मछलीमारी करने वाले लोगों की कोई व्यवस्थित गणना नहीं होती। नदी अगर सूख जाती है तो सूखे का उन्हे कोई मुआवजा नहीं मिलता। किसी किसान के खेत में प्रदुषण फैलाने का अधीकार जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, वैसे ही मछुआरों की खेती को भी पदूषित करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिये।

इस स्थिति के लिये इन समुदायों में फैले सामाजिक बिखराव की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मछलियों की संख्या में गत कुछ वर्ष में आयी अभूतपूर्व कमी, नदी तथा अन्य जलाशयों की परिस्थितिकी में आये आमूल परिवर्तन के कारण इस समाज में निराशा का वातावरण व्याप्त हैं। मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि, आज जितनी भी निराशा मछुआरों में हो, होती रहे लेकिन नदी संरक्षण के लिये यंही लोग सामने आयेंगे क्योंकि यहीं लोग अपने जीवनयापन के लिये पूर्णतः नदी पर निर्भर है।

नदी संवर्धन, मछली संवर्धन के कार्य में इन लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिये इनके साथ मिलकर इन के जीवनयापन के मुद्दों पर कार्य करने की आवश्यकता है। इस सम्मेलन में यह अपेक्षित है, की महाराष्ट्र के विभिन्न विभागों से तथा अडाण नदी बेसिन से आये मछुआरे अपनी बात सबके समक्ष रखें। इससे हमे भी लोगों के साथ उनके जीवनयापन के मुद्दों पर तथा नदी संरक्षण के मुद्दे पर किस तरह अधिक प्रभावी पद्धती से काम किया जाये उसकी दिशा प्रदान होगी।

११. नदी परिक्रमा

नदी परिक्रमा नदी को जाननेका तथा जनमानस को नदी के बारे में जागरुक करने का एक अच्छा माध्यम है। विदर्भ में नदी परिक्रमा का अच्छा प्रयोग ‘गांव बांधनी’ संस्था की ओर से गारवी नदी (वैनगंगा की उपनदी) के लिये किया गया है। सम्मेलन के पश्चात नवंबर २००८ में अडाण नदी के लिये हम करने जा रहे है। महाराष्ट्र के लिये इस तरह की परिक्रमायें होने की आवश्यकता है। इस विषय को भी सम्मेलन में चर्चा का विषय बनाया जायेगा।

१२. उपसंहार

संक्षेप में, विभिन्न जगहों पर नदी संरक्षण तथा अध्ययन के लिये काम कर रहे लोगों के अनुभव को बाटना, महाराष्ट्र के लिये सांझा अध्ययन की रणनीति तैयार करना, मछुआरों के साथ जीवनयापन के लिये प्रत्यक्ष जमीनपर तथा सरकारी कानूनी स्तर पर कार्यप्रणाली तैयार करना, नदी पर संरक्षित क्षेत्र निर्मित करने के कुछ उदाहरण निर्मित करना तथा समाज का मुख्य धाराप्रवाही वर्ग को तथा सरकारी तबके को इन सारे प्रश्नों के पति जागरुक करना ये मुख्य उद्देश इस सम्मेलन के होंगे।

यह सम्मेलन अन्य तथाकथित ‘कॉन्फरेंस’ की तरह ना हो। हम अपने काम को, अपने ज्ञान को, सबके सामने केवल बांट कर भूल ना जाये। इस सम्मेलन से एक टाईम बाउंड कार्यक्रम निकले। महाराष्ट्र के लिये कार्यकर्ताओं का, अध्ययनकर्ताओं का एक नेटवर्क तैयार हो। इस सम्मेलन में हम कितने सवालों के समाधान ढूंढ सके ये जरुर महत्वपूर्ण बात होगी लेकिन हम कितने प्रश्न निर्मित करेंगे ये उससे भी महत्वपूर्ण कदम होगा ऐसा मेरा मानना है।

जिन्होंने अपने कार्यों द्वारा ये सिद्ध किया कि, गांधीवाद केवल कपोलकल्पना का नाम नहीं है (Gandhi was not utopian)। जिन्होने अनेक नदियों को जीवित करणे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, मेगॅसेसे पुरस्कार से सन्मानित श्री। राजेंद्रसिंगजी राजपूत इस कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगें।

कारंजा के प्राचिनतम ‘किसनलाल नथमल महाविद्यालय’ में हम इस सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे है। सामाजिक शास्त्र, भाषा शास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा व्यापार के विषयों में इस महाविद्यालय ने अपना अनुठा योगदान दिया है। कारंजा एक ऐतिहासिक नगर है तथा अपनी दानशूरता तथा कलाप्रेम के लिये सुप्रसिद्ध है। इस नगर में आप सबका स्वागत है।

आईये हम सब मिल कर जल स्त्रोंतो को बचाने में अपना योगदान दे।

सधन्यवाद ।

कार्यक्रम रुपरेखा

- दिनांकः १८ तथा १९ अक्टूबर २००८.
- स्थानः की. न. महाविद्यालय, कारंजा (लाड).
- कार्यक्रम अध्यक्षः श्री राजेंद्र सिंग राजपूत.
- सहयोग राशीः १०० रु (विद्यार्थी तथा मछूआरों के लिये ५० रुपये).
- निवास व्यवस्थाः की. न. महाविद्यालय छात्रावास.

संपर्क

डॉ निलेश क हेडा
आयोजन प्रमूख
महाराष्ट्र राज्य नदी सम्मेलन,
दत्त कॉलनी, कारंजा (लाड), जि. वाशीम ४४४१०५ महाराष्ट्र
फोनः ०७२५६-२२५०५० (निवास), ०९३७३३६३२३२ (मो)
इमेलः nilheda@gmail.com
वेब साईटः www.samvardhan.page.tl

कसे पहुचें?

- **नागपूर से कारंजा (लाड) २२० की. मी. की दूरी पर स्थित है. नागपूर से कारंजा के लिये सिधी बसे है. ये नागपूर पुणे/औरंगाबाद हायवे पर स्थित है.**
- **नजदीकी रेल्वे स्टेषन मुर्तीजापूर (३७ की.मी.) तथा बडनेरा (७७ की.मी.) मूंबई हावडा रेल्वे लाईन पर स्थित है.**
- **नजदीकी हवाई अड्डाः नागपूर.**
- **क्रुपया नोट करे : इस विभाग मे दो कारंजा है, कारंजा (घाडगे) तथा कारंजा (लाड), आपको कारंजा (लाड) पहुचना है.**